फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांक 16.11.2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अक्टूबर, 2022 का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ अक्टूबर, 2022 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
**011-23034467**

संलग्नक: उपरोक्तनुसार

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

**भारत सरकार**
**संसदीय कार्य मंत्रालय**

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अक्टूबर, **2022** का मासिक सार।

1. माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

अक्टूबर, 2022 के दौरान लोक सभा/राज्य सभा की कार्यवाही से कोई नया आश्वासन नहीं लिया गया क्योंकि इस अवधि के दौरान संसद की कोई बैठक नहीं हुई थी।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन**

अक्टूबर, 2022 के महीने में -

(क) परामर्शदात्री समिति की एक बैठक आयोजित की गई।
(ख) माह के दौरान सरकार द्वारा परामर्शदात्री समिति में एक संसद सदस्य को नामित किया गया।

उपरोक्त विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामलों और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

| | **लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले** | **राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत किए गए विशेष उल्लेख** |
|---|---|---|
| दिनांक 01.10.2022 को लंबित मामले | 229 | 124 |
| माह के दौरान उठाए गए मामले | 000 | 000 |
| कुल लंबित मामले | 229 | 124 |
| माह के दौरान प्राप्त उत्तर | 107 | 016 |
| शेष मामले | **122** | **108** |

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

(क) अक्टूबर, 2022 में कुल 1315 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद 94 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पूरी तरह या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया है। इन युवा संसद बैठकों में 2123 छात्रों ने भाग लिया।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय, ओल्ड कैंट, इलाहाबाद ने 20 अक्टूबर, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर युवा संसद की विशेष बैठक आयोजित की।

(ग) जवाहर नवोदय विद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा ने 12 अक्टूबर, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर युवा संसद की विशेष बैठक आयोजित की।

(घ) मध्य प्रदेश में युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के आयोजन के लिए मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों/शिक्षकों/अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी द्वारा 18 अक्टूबर, 2022 को युवा संसद के संचालन के तौर-तरीकों पर व्याख्यान दिया गया।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

अक्टूबर, 2022 के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित कार्य किए गए:

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यशाला -** केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, नेवा ने नेवा के डिजिटल हाउस मॉड्यूल पर तमिलनाडु विधानसभा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 20 अक्टूबर, 2022 को एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की।

2. **विभिन्न विधानसभाओं को अपना सत्र नेवा प्लेटफॉर्म पर संचालित करने के लिए दी गई सहायता-** सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा की विधानसभाओं को आवश्यक सहायता प्रदान की गई ताकि वे परेशानी मुक्त तरीके से नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें।

2. लंबे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रूके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन की मंजूरी 'के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. चालू स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

विशेष अभियान 2.0 के दौरान आयोजित गतिविधियों का विवरण <u>**अनुबंध-2**</u> पर संलग्न है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

-लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर के पदों में रिक्ति की स्थिति

वर्तमान में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

अनुबंध- I

## अक्टूबर, 2022 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकें

| क्र.सं | दिन, तिथि और समय | मंत्रालय | विषय | स्थान/टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मंगलवार, 11 अक्टूबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे | विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय | भारत में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का विकास - इसका महत्व | समिति कक्ष-घ, संसदीय सौध, नई दिल्ली **(विद्युत मंत्रालय के संबंध में)** |

**अक्टूबर, 2022 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों में नामित संसद सदस्य:-**

| क्र.सं | सांसद का नाम | परामर्शदात्री समिति का नाम जिनमें नामित किया गया | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री जयंत चौधरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | दिनांक 21.10.2022 को नामित |

अनुबंध - 2

2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए चलाए गए विशेष अभियान 2.0 के दौरान, जन शिकायतों और संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान, संसद के आश्वासनों, स्वच्छता, स्क्रैप के निपटान और फाइलों की छंटाई/रिकॉर्ड प्रबंधन इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अभियान के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की:

(क) 373 भौतिक फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य हासिल किया गया।
(ख) 461 ई-फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य हासिल किया गया।
(ग) विशेष अभियान 2.0 के दौरान 226 फाइलें नष्ट की गईं।
(घ) स्क्रैप की बिक्री से रू. 1,23,810/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

संसदीय कार्य मंत्रालय जन शिकायतों और प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भों को प्राथमिकता के आधार पर देखता है और अभियान के दौरान त्वरित और तत्काल कार्रवाई के कारण विचाराधीनता शून्य रही थी।

डिजिटल पहल, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) और ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओएएमएस) विशेष अभियान 2.0 के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली बने रहे।